

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर ।

विज्ञप्ति

कमांक952/पी0ओ0/2022

इन्दौर,दिनांक, 25.3.2022

शासकीय वाहन के विक्रय हेतु खुली नीलामी की शर्तें ।

1. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर के निम्नानुसार वाहन जो जहाँ है, तथा जिस हालत में है, के आधार पर विक्रय हेतु दिनांक 18/04/2022 समय दोपहर पश्चात 2 बजे से 3 बजे तक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय परिसर इन्दौर में खुली नीलामी द्वारा विक्रय किया जावेगा । जिसका विवरण निम्नानुसार है ।

वाहन कमांक	वाहन का प्रकार	मॉडल	वाहन कहाँ रखा हुआ है	वाहन की अपसेट कीमत रूपये	अपसेट कीमत की 10 प्रतिशत राशि नगद जमा करना है ।
MP02-AV-2123	Accent	2008	High Court Indore	22,000/-	2,200/-

2. शासकीय वाहन का निरीक्षण नीलामी से एक दिवस पहले तक शासकीय कार्य दिवस में किया जा सकता है ।
3. बोली लगाने वालों को एसेंट के लिये राशि रूपये, 2,200/- की प्रतिभूति राशि, आधार कार्ड की प्रति, पते का विवरण, मोबाईल नम्बर तथा यदि संस्था फर्म हो तो अधिकृत पत्र संलग्न कर नीलामी प्रारंभ होने के पूर्व 1.00 बजे तक बंद लिफाफे में नाम सहित कार्यालय में जमा करना होगा ।
4. अपसेट प्राईज से अधिकतम बोली लगाने पर ही बोली समाप्त की जावेगी । उपरोक्त तिथि को नीलामी समाप्त नहीं हो पाने पर नीलामी अगली तिथि तक बढ़ाई जावेगी ।
5. नीलामी बोली स्वीकृत होने पर वाहन की कीमत का 25 प्रतिशत राशि उसी दिन एवं शेष राशि 7 दिवस के अन्दर कार्यालय में जमा कर वाहन ले जा सकेंगे । यदि कयकर्ता द्वारा सम्पूर्ण राशि 7 दिवस के अन्दर कार्यालय में जमा नहीं की जाती तो जमा प्रतिभूति राशि राजसात करते हुए वाहन उनसे कम बोली वाले कंता जिसकी बोली अपसेट कीमत से अधिकतम है उसे विक्रय करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा ।
6. वाहन बिना नम्बर प्लेट के सौंपा जावेगा ।
7. वाहन का नवीन पंजियन नियमानुसार संबंधित क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी से 1 माह में स्वयं के व्यय पर करवाने के उपरान्त ही वाहन का निजी उपयोग किया जावेगा, जिसका बन्धक पत्रक 500 रूपये के स्टॉम्प पेपर पर नोटराईज करवाकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।
8. राशि जमा पश्चात वाहन एक सप्ताह तक नहीं लेजाने की स्थिति में रूपये 100/- प्रतिदिन प्रतिभूति चार्जस जमा करना होंगे ।
9. बोली स्वीकार होने पर जमा प्रतिभूति राशि कीमत में समायोजित की जायेगी । शेष जमाकर्ता राशि अगले कार्यालय दिवस में वापस ले सकेंगे ।
10. नीलामी बोली को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा । जो सभी पक्षों को मान्य होगा ।

(Signature)

प्रिन्सिपल रजिस्ट्रार,
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,
खंडपीठ इन्दौर ।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर ।

कमांक 952/पी0ओ0/2022

इन्दौर,दिनांक, 25-3-2022

खुली निलामी की विज्ञप्ति

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर की एसेंट वाहन जो जहाँ है, तथा जिस हालत में है, के आधार पर खुली निलामी से विक्रय किया जाना है । निलामी की विस्तृत शर्तें अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में तथा विभागीय वेबसाईट www.mphc.gov.in/tenders पर उपलब्ध है ।

वाहन कमांक	वाहन का प्रकार एवं मॉडल	वाहन की अपसेट कीमत रूपये	अपसेट कीमत की 10 प्रतिशत राशि नगद जमा करना है	वाहन कहीं रखा हुआ है
MP02-AV-2123	Accent-2008	22,000/-	2,200/-	High Court Indore

Danu

प्रिन्सिपल रजिस्ट्रार,
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर

an